

मध्यप्रदेश शासन  
स्टेट कंट्रोल रूम  
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 26.04.2020

क्रमांक..  
प्रति,

समस्त कलेक्टर,  
समस्त पुलिस अधीक्षक,  
मध्यप्रदेश


**विषय:-प्रदेश के फंसे मजदूरों को अन्य प्रदेश से लाने की व्यवस्था।**

प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में लोकडाउन के कारण रूके हुए मजदूरों को अपने गन्तव्य तक पहुँचाने के लिए निम्नानुसार व्यवस्था की जावे:-

1. राज्य नियंत्रण कक्ष (स्टेट कंट्रोल रूम) में संधारित जानकारी जिसके अनुसार प्रदेश के किस जिले के मजदूर अन्य प्रदेशों में किस जिले में रूके हुए है उसकी जानकारी से राज्य समन्वयक अधिकारी को अवगत कराया जावेगा।
2. राज्य समन्वयक अधिकारी अन्य राज्यों से संबंधित राज्य द्वारा संधारित प्रदेश के मजदूरों की यथासंभव जिलेवार जानकारी प्राप्त करेंगे एवं अपनी डाटा भी उनसे साझा करेंगे।
3. प्रदेश के विभिन्न जिलों के निवासी मजदूर जो अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं उनकी जानकारी मैपआईटी व जिला कलेक्टरों ने मुख्यमंत्री मजदूर सहायता योजना के अंतर्गत संधारित की है उसको अपर प्रमुख सचिव श्री आई.सी.पी. केशरी अथवा प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे को उपलब्ध करायी जावे।
4. मैपआईटी के द्वारा ई-पास व्यवस्था के लिए संचालित पोर्टल में भी प्रदेश की बाहर ऐसे मजदूर जो प्रदेश में वापस आने के लिए इच्छुक हैं उनके पंजीयन की व्यवस्था का प्रावधान किया जावे।
5. इसके अतिरिक्त ऐसे निवासी राज्य नियंत्रण कक्ष के फोन नं. 0755-241180 पर भी सूचना दे सकेंगे जिसकी जानकारी का संकलन राज्य नियंत्रण कक्ष द्वारा किया जावे।
6. उपरोक्त समस्त माध्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्य योजना बनायी जावे तथा संबंधित समन्वयक अधिकारी अपने अन्य प्रदेशों के काउंटर पार्ट से समन्वय स्थापित करेंगे तथा उपरोक्त जानकारी से अपर मुख्य सचिव श्री आई.सी.पी. केशरी अवगत करायेगें।

## परिवहन व्यवस्था :-

- a. गुजरात, राजस्थान एवं अत्तर प्रदेश द्वारा वहाँ की बसों से मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे समस्त नागरिक जो अन्य प्रदेशों से मध्यप्रदेश की सीमा में प्रवेश करेंगे उनकी मध्यप्रदेश की सीमा पर संबंधित जिले के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण, विश्राम व भोजन की व्यवस्था की जावे।
- b. स्वास्थ्य परीक्षण में अस्वस्थ पाये गये श्रमिकों को क्वारंटाईन की व्यवस्था वहीं पर सुनिश्चित की जावे।
- c. स्वस्थ पाये गये श्रमिकों को इन्ट्री प्वाइंट से उनके गंतव्य जिले तक पहुँचाने की व्यवस्था बसों के माध्यम से सीमावर्ती जिले द्वारा की जावे। इस हेतु आवश्यक परिवहन विभाग तथा आर.टी.ओ. द्वारा पर्याप्त बसें आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जावेंगी। इन्ट्री प्वाइंट पर बसों को जिलेवार भेजा जावे।
- d. गन्तव्य जिले पर पहुँचने पर ऐसे नागरिकों का पुनः स्वास्थ्य परीक्षण किया जावेगा और स्वास्थ्य परीक्षण में अस्वस्थ पाये गये नागरिकों के अलावा शेष को अपने निवास स्थल को भेजा जावेगा शेष व्यक्तियों को अस्वस्थ पाये जाने पर जिले के अंदर क्वारंटाईन किया जावे।
5. उपरोक्त क्रियान्वयन में परिवहन, भोजन या अन्य सुविधाओं के लिए कलेक्टर SDRF से भुगतान की व्यवस्था करेंगे।
6. यह कार्य योजनाबद्ध तरीके से तत्पराता एवं सावधानीपूर्वक संपादित किया जाए एवं की गई कार्यवाही से अवगत भी कराया जाए।
7. अन्य शहरों में आने वाले मजदूरों की संख्या को उस राज्य के नोडल अधिकारी से समन्वय कर रेगुलेट की जावे ताकि बोर्डर पर व्यवस्था बनी रहे।


  
(आई.सी.पी. केशरी)

अपर मुख्य सचिव  
प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम

### प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय
2. श्री एस.एन.मिश्रा, प्रमुख सचिव, गृह एवं परिवहन विभाग भोपाल
3. श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग भोपाल
4. श्री मनु श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, नव एवं नवकरणीय ऊर्जा, एमएसएमई विभाग
5. श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास

5. श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास
6. श्री नीरज मुडलोई, प्रमुख सचिव, खनिज साधन, उच्च शिक्षा
7. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग
8. श्रीमती दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग
9. श्री किरण गोपाल, प्रबन्ध संचालक, पूर्व क्षेत्र विद्युत कं. जबलपुर
10. श्रीमती इरीन सिथिया
11. श्री टी.इल्लैयाराजा
12. श्री श्रीनीवास वर्मा, आई.जी., कानून-व्यवस्था
13. श्री मधु कुमार, आयुक्त परिवहन म.प्र.
14. संभागीय आयुक्त, सूचनार्थ

  
अपर मुख्य सचिव  
प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम